

राष्ट्रीय लोक अदालत "न्याय आपके द्वार 2016"
न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) नागौर

बड़जलारा श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस
राजस्व वाद संख्या 21/2008

वादीगण

- 1 कावूराम पुत्र लिछमणराम
- 2 कानाराम पुत्र लिछमणराम
- 3 गुमानाराम पि0 लिछमणराम जाति
कुम्हार निवासी टांकला

बनाम

1. पोकरराम पुत्र लिछमणराम प्रतिवादीगण
2. भगवानाराम पुत्र लिछमणराम
3. शिमुाराम पुत्र लिछमणराम
4. बचनाराम पुत्र लिछमणराम जातियान कुम्हार
निवासी टांकला तहसील व जिला नागौर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

दावा अधीन धारा 88, 53 आर.टी.एक्ट संशोधित वाद

निर्णय

दिनांक :- 25.05.2016

वादीगण की ओर से निम्न वाद पत्र इस्तदुआ की कि :-

- 1 यह है कि, वादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 सगे भाई है और प्रतिवादी सं. 4 प्रतिवादी संख्या 3 का पुत्र है जो पहले एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य थे। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 के संयुक्त हिन्दू परिवार की पुश्तैनी भूमि खेत खसरा नं. 561/938 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नं. 570/922 रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा व खसरा नं. 749 रकबा 03 बिघा 18 बिस्व व खसरा नं. 750/2 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा रकबा 50 बीघा 12 बिस्वा वाके सरहद मौजा टांकला आपसी बंटवाजा के आधार पर प्रतिवादी संख्या 2 भगवनाराम की खातेदारी मे दर्ज है। खेत खसरा नं. 561/937 रकबा 16 बीघा 9 बिस्वा खसरा नं. 570/923 रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा खसरा नं. 750/1 रकबा 06 बीघा व खसरा नं. 751 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा कुल रकबा 50 बिघा 17 बिस्वा वाके सरहद मौजा टांकला तहसील नागौर वादी संख्या 2 कानाराम के बंट मे है। तथा उसके अकेले की खातेदारी मे दर्ज है। खेत खसरा नं. 567/919 रकबा 17 बिघा 03 बिस्वा के सरहद मौजा टांकला तहसील नागौर वादी संख्या 3 गुमानाराम के बंट व उसाकी खातेदारी मे दर्ज है। खेत खसरा नं. 562/1 रकबा 16 बीघा वाके मौजा टांकला तहसील नागौर वादी संख्या 3 गुमानाराम का खरीद सुदा होने से उसाकी खातेदारी मे दर्ज है। खेत खसरा नं. 570 रकबा 23 बीघा 07 बिस्वा खेत खसरा नम्बर 750 रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा वाके सरहद मौजा टांकला तहसील नागौर प्रतिवादी संख्या 1 पोकरराम के बंट व खातेदारी मे दर्ज है। तथा अन्य पुश्तैनी खेत खसरा नं. 561 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 पोकरराम के पुत्र मंवरलाल व मेहराम तथा पुत्र यधु केसूडी की खातेदारी मे दर्ज है। इस प्रकार ग्राम टांकला की सरहद की पुश्तैनी भूमि मे पोकरराम के बंट मे कुल रकबा 50 बीघा 11 बिस्वा भूमि बंट व खातेदारी कब्जा काश्त मे दर्ज है खेत खसरा नं. 688 रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा वाके मौजा टांकला तहसील नागौर पोकरराम के खरीदसुदा है। जो उनके अकेले की खातेदारी मे दर्ज है। खेत खसरा नं. 567/918 रकबा 17 बिघा 03 बिस्वा व खेत खसरा नं. 570/1 रकबा 08 बिघा कुल रकबा 25 बिघा 03 बिस्वा वाके मौजा टांकला तहसील नागौर वादी संख्या 1 कालूराम के बंट व खातेदारी के है। खेत खसरा नं. 561/940 रकबा 16 बिघा 09 बिस्वा व खसरा नं. 567 रकबा 17 बिघा 04 बिस्वा कुल रकबा 33 बिघा 13 बिस्वा वाके मौजा टांकला प्रतिवादी संख्या 3 शिमुाराम के बंट व कब्जे काश्त व खातेदारी का है इस प्रकार से ग्राम टांकला तहसील नागौर की सरहद मे स्थित पुश्तैनी भूमि उनके बंट अनुसार खातेदारी मे दर्ज है। यह है कि, ग्राम बुढी तहसील नागौर की सरहद मे स्थित खेत खसरा नं. 95 रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 70 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नं. 71 रकबा 01बीघा 04 बिस्वा खेत खसरा नं. 80 रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा खेत खसरा नं. 86 रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा वाके मौजा बुढी तहसील नागौर खेत खसरा नं. 561/393 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा खेत खसरा नं. 567/917 रकबा 17 बीघा वाके सरहद मौजा टांकला तहसील नागौर पदाकारान के संयुक्त परिवार की पुश्तैनी भूमि है। जिसका उनके बीच काफी वर्ष पूर्व ही पारिवारिक बंटवाजा हो चुका


सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

पेज संख्या 2
है। और उक्त पारिवारिक बंटवाडा के अनुसार निम्न प्रकार से प्रत्येक पक्षकार के वादगस्त भूमि बंट में रखी गई है जो निम्न प्रकार से है-
क. प्रतिवादी संख्या 1 पोकरराम के बंट में खसरा नं. 95 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा बूढी में से दक्षिण व पूर्व की तरफ का 1/3 हिस्सा रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा रकबा बंट में रखा गया है।

ख. वादी कालूराम के बंट में खेत खसरा नं. 86 कुल रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से पूर्व व दक्षिण की तरफ का 16 बिघा 01 बिस्वा बंट में आया है। व खसरा नं. 95 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से 07 बीघा 17 बिस्वा पश्चित की तरफ का बंट में रखा गया तथा खसरा नं. 567/917 कुल रकबा 17 बिघा 03 बिस्वा वाके ग्राम टांकला तहसील नागौर में से 08 बीघा 12 बिस्वा दक्षिण की तरफ का बंट में आया है।

ग. वादी कानाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बिघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से 06 बीघा 16 बिस्वा जो मगवानाराम के हिस्से के चिपताही दक्षिण की तरफ है एवं खसरा नं. 71 कुल रकबा 01 बिघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बुढी का पूरा रकबा बंट में रखा गया है।

(घ) प्रतिवादी भगवानाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बिघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से 06 बीघा 17 बिस्वा उत्तर की तरफ का खसरा नम्बर 70 रकबा 01 बीगा 03 बिस्वा कुल रकबा 08 बिघा वाके ग्राम बुढी का पूरा रकबा बंट में रखा गया है।

(ङ) वादी गुमानाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से दक्षिण की तरफ का 16 बीगा बंट में आया है। जिसके उत्तर में बचनाराम के बंट की भूमि है। खसरा नं. 95 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से उत्तर पूर्व की तरफ का 1/3 हिस्सा रकबा 07 बिघा 17 बिस्वा बंट में रखा गया है। खसरा नं. 567/917 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम टांकला में से उत्तर की तरफ 8 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नं. 561/939 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम टांकला में से 08 बिघा 05 बिस्वा बंट में रखा गया है।

(च) प्रतिवादी संख्या 3 शिमराम के बंट में खेत खसरा नम्बर 661/938 कुल रकबा 16 बिघा 09 बिस्वा वाके ग्राम टांकला में से 08 बिघा 04 बिस्वा बंट में रखा गया है।

(छ) प्रतिवादी संख्या 4 बचनाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा में से गुमानाराम व कानाराम के बीच का हिस्सा रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 86 कुल रकबा 21 बिघा 13 बिस्वा में से 05 बीघा 12 बिस्वा उत्तर की तरफ का हिस्सा बंट में रखा गया है। उपरोक्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण ग्राम टांकला व बुढी की भूमि पर कब्जा काश्त मौके पर चला आ रहा है। और ग्राम टांकला व बुढी की भूमि को जोड़ने पर प्रत्येक पक्षकार के बंट में बराबर बराबर भूमि (57-58) बीघा भूमि बंट में आती है।

3 यह है कि, वाद के अनुच्छेद संख्या 2 में दर्जित भूमि का पक्षकारान के बीच व पारिवारिक बंटवाडे के अनुसार खातेदारी इन्द्राज नहीं होने से यह वाद पेश किया जा रहा है।

4 यह है कि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार जी नागौर लैण्ड होल्डर होने से उन्हें भी इस वाद में प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

5 यह है कि, उपरोक्त खसरा न की भूमि ग्राम टांकला व ग्राम बुढी तहसील नागौर में स्थित होने से वाद सुगवाई का क्षेत्राधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है।

6 यह है कि, विनायदावा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण पक्षकारान के बीच वाद के पैरा नम्बर 2 में उल्लेखित मूमित को पारिवारिक बंटवाडा होने के बावजूद भी प्रत्येक की खातेदारी में अलग अलग इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में नहीं होने से वमुकाम टांकला व बुढी तहसील नागौर में पैदा हुआ है। इसलिये माननीय न्यायालय को वाद सुनने का अधिकार क्षेत्र है।


वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवदीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 2 की तरफ से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर इस्तदुआ की कि :-

1 यह है कि, वाद पैरा नम्बर 1 सही होने से स्वीकार है।

2 यह है कि, वाद पैरा नम्बर 2 सही होने से स्वीकार है।

3 यह है कि, वाद पैरा नम्बर 3 सही होने से स्वीकार है।

4 यह है कि वाद पत्र का पैरा नम्बर 4 कानूनी होने से अदालत वाला के गौर का है।


राजस्थान सरकार
(राज. बी.ओ.) नागौर

- 5 यह है कि, वाद पत्र का पैरा नम्बर 5 कानूनी होने से गौर अदालत वाला के है।
- 6 यह है कि, वाद पत्र का पैरा नम्बर 6 विनायदावा का है जो कानूनी होने से गौर अदालत वाला के है।
- 7 यह है कि, वाद वाद पत्र का पैरा नम्बर 7 इस्तदुआ वादीगण है जो सही होने से स्वीकार है। वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 के अनुसार वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के बीच वादग्रस्त भूमि का बंटवाजा किया जाकर उनके बंट व हिस्से की भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दारामद कर दिया जावे मुझ प्रतिवादी को कोई उजर व एतराज नहीं है। इसके लिये में सहमत हूँ।
- प्रतिवादी संख्या 1 पोकरराम के जवाबमय काउन्टर क्लेम पेश किया पक्षकारान मजमेआम में उपस्थित हुवे प्रतिवादी संख्या 1 पोकरराम ने भी काउन्टर क्लेम में खसरा नं 95 रकबा 23.10 बीघा में से दक्षिणी पूर्वी 1/3 हिस्सा अपने बंट के पैरा संख्या 2 के उप पैरा क ने भी वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 पोकरराम का खसरा नं. 95 रकबा 23.10 बीघा में से दक्षिणी पूर्वी 1/3 हिस्सा बंट में रखा है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 भी मजमेआम में उपस्थित होकर अपासी राजीनामा से वादी के वाद को स्वीकार किया है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा काउन्टर क्लेम में चाही गई इस्तदुआ वाद के बंटवारा के पैरा 2 के उप पैरा (क) के अनुसार ही है।
- अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।
- (क). प्रतिवादी संख्या 1 पोकरराम के बंट में खसरा नं. 95 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा बूढी में से दक्षिण व पूर्व की तरफ का 1/3 हिस्सा रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा रकबा बंट कब्जा कारत व खातेदारी में घोषित किया जाता है।
- (ख). वादी कालूराम के बंट में खेत खसरा नं. 86 कुल रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से पूर्व व दक्षिण की तरफ का 16 बिघा 01 बिस्वा बंट में आया है। व खसरा नं. 95 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बूढी में से 07 बीघा 17 बिस्वा पश्चित की तरफ का बंट में रखा गया तथा खसरा नं. 567/917 कुल रकबा 17 बिघा 03 बिस्वा वाके ग्राम टांकला तहसील नागौर में से 08 बीघा 12 बिस्वा दक्षिण की तरफ का बंट घोषित किया जाता है।
- (ग). वादी कानाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बिघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से 06 बीघा 16 बिस्वा जो भगवानाराम के हिस्से के चिपताही दक्षिण की तरफ है एवं खसरा नं. 71 कुल रकबा 01 बिघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बुढी का पूरा रकबा बंट में घोषित किया जाता है।
- (घ). प्रतिवादी गगवानाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बिघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से 06 बीघा 17 बिस्वा उत्तर की तरफ का खसरा नम्बर 70 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 08 बिघा वाके ग्राम बुढी का पूरा रकबा बंट घोषित किया जाता है। (ड) वादी गुमानाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से दक्षिण की तरफ का 16 बीघा बंट में आया है। जिसके उत्तर में बचनाराम के बंट की भूमि है। खसरा नं. 95 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से उत्तर पूर्व की तरफ का 1/3 हिस्सा रकबा 07 बिघा 17 बिस्वा बंट में रखा गया है। खसरा नं. 567/917 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम टांकला में से उत्तर की तरफ 8 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नं 561/939 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम टांकला में से 08 बिघा 05 बिस्वा बंट घोषित किया जाता है।
- (च). प्रतिवादी संख्या 3 शिम्भूराम के बंट में खेत खसरा नम्बर 661/938 कुल रकबा 16 बिघा 09 बिस्वा वाके ग्राम टांकला में से 08 बिघा 04 बिस्वा बंट में रखा गया है।
- (छ). प्रतिवादी संख्या 4 बचनाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा में से गुमानाराम व कानाराम के बीच का हिस्सा रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 86 कुल रकबा 21 बिघा 13 बिस्वा में से 05 बीघा 12 बिस्वा उत्तर की तरफ का हिस्सा बंट घोषित किया जाता है।
- इभी अनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकार्ड में अमल दारामद कराने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

निर्णय दिनांक 25.05.2016 को मेरे द्वारा मजमेआम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

Jain
जयदेव कुमार
पुस्तकालय
पुस्तकालय

--- न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर :-

डिगरी बमुकदमे इष्टदाई

(ओ 21 रूल 6.7 जाब्ता दीवानी)

बइजलास श्रीमती प्रतिष्ठा पिलानिया आर.ए.एस

वादीगण
1 कालूराम पुत्र लिछमणराम
2 कानाराम पुत्र लिछमणराम
3 गुमानाराम ओ0 लिछमणराम जाति
कुम्हार निवासी टांकला

बनम

प्रतिवादीगण

1. पोकरराम पुत्र लिछमणराम
2. भगवानाराम पुत्र लिछमणराम
3. शिम्पुराम पुत्र लिछमणराम
4. बचनाराम पुत्र लिछमणराम जातियान कुम्हार
निवासी टांकला तहसील व जिला नागौर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर

दावा राजस्व मुकदमा 21/2008 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू व
हाजरी.....मिनजानिब मुद्दाई व

जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 पोकरराम के बंट में खसरा नं. 95 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा बुढी में से दक्षिण व पूर्व की तरफ का 1/3 हिस्सा रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा रकबा बंट कब्जा कास्त व खातेदारों में घोषित किया जाता है। वादी कालूराम के बंट में खेत खसरा नं. 86 कुल रकबा 21 बीघा 13 बिस्वा जाके ग्राम बुढी में से पूर्व व दक्षिण की तरफ का 16 बिघा 01 बिस्वा बंट में आया है। व खसरा नं. 95 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से 07 बीघा 17 बिस्वा पश्चित की तरफ का बंट में रखा गया तथा खसरा नं. 567/917 कुल रकबा 17 बिघा 03 बिस्वा वाके ग्राम टांकला तहसील नागौर में से 08 बीघा 12 बिस्वा दक्षिण की तरफ का बंट घोषित किया जाता है।

वादी कानाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बिघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से 06 बीघा 16 बिस्वा व भगवानाराम के हिस्से के चिपताही दक्षिण की तरफ है एवं खसरा नं. 71 कुल रकबा 01 बिघा 04 बिस्वा वाके ग्राम बुढी का पूरा रकबा बंट में घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी भगवानाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बिघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से 06 बीघा 17 बिस्वा उत्तर की तरफ का खसरा नम्बर 70 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा कुल रकबा 08 बिघा वाके ग्राम बुढी का पूरा रकबा बंट घोषित किया जाता है। (ब) वादी गुमानाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से दक्षिण की तरफ का 16 बीघा बंट में आया है। हिस्से उत्तर में बचनाराम के बंट की मूनि है। खसरा नं. 95 कुल रकबा 23 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम बुढी में से उत्तर पूर्व की तरफ का 1/3 हिस्सा रकबा 07 बिघा 17 बिस्वा बंट में रखा गया है। खसरा नं. 98/97 रकबा 17 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम टांकला में से उत्तर की तरफ 8 बीघा 11 बिस्वा व खसरा नं. 567/939 रकबा 16 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम टांकला में से 08 बिघा 05 बिस्वा बंट घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 3 शिम्पुराम के बंट में खेत खसरा नम्बर 661/938 कुल रकबा 16 बिघा 09 बिस्वा वाके ग्राम टांकला में से 08 बिघा 04 बिस्वा बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 4 बचनाराम के बंट में खेत खसरा नं. 80 कुल रकबा 40 बीघा 03 बिस्वा में से गुमानाराम व कानाराम के बीच का हिस्सा रकबा 10 बिघा 10 बिस्वा व खसरा नं. 86 कुल रकबा 21 बिघा 13 बिस्वा में से 05 बीघा 12 बिस्वा उत्तर की तरफ का हिस्सा बंट घोषित किया जाता है।

लीज.....मुबलिक.....
वाबत.....खर्चा इस मुकदमे गय सूद व शहर.....
फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....

को अदा करें।

बनीका तरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 5 सन्

20..16

दस्तखत
आहवा
(एस.डी.ओ.) नागौर

मुददई	रूपया	पैसे	मुददयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जा दावा			स्टाम्प वकालत नागा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जा		
स्टाम्प वकालत साबुत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिफ		
मुतफरिफ			मिजान		

Jania
 महायक कलक्टर
 (580), नागौर

संशोधित डिक्री पर्चा

निर्णय एंव डिक्री पर्चा दिनांक 25.5.2016 के पृष्ठ एक के अनुच्छेद 2 की चौथी लाईन के ख. न. 561/393 की जगह 561/939 एंव निर्णय के पृष्ठ दो के उप अनुच्छेद डू में अंतिम पक्ति ख.न. 561/939 रकबा 16 बिघा 9 बिश्वा मोजा टांकला में से 8 बिघा 5 बिश्वा पश्चिमी दिशा की एंव पैरा च में खेत खसरा न. 661/938 की जगह 561/939 व रकबा 16 बिघा 9 बिश्वा में से 8 बिघा 04 बिश्वा पूर्वी दिशा एंव पृष्ठ स. 3 के अनुच्छेद स. 7 के उप पैरा सं. घ के खसरा न. 561/939 रकबा 16 बिघा 9 बिश्वा ग्राम टांकला में से 8 बिघा 5 बिश्वा पश्चिमी दिशा एंव पैरा स. 7 वे उप पैरा सं. च मे ख. न. 661/938 की जगह 561/938 रकबा 16 बिघा 9 बिश्वा मे से 8 बिघा 4 बिश्वा पूर्वी दिशा अंकित कर दुरुस्त किये जाते है।

Jania
 महायक कलक्टर
 (580), नागौर